

न्यायालय:-अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

प्रकरण क्रमांक 32/2013 क्लेम

संस्थित दिनांक 13.12.2013

1. श्रीमती कांतीबाई उर्फ रमाकांती बाई पत्नी जबर सिंह नरवरिया, उम्र 44 वर्ष, व्यवसाय- गृहकार्य।
 2. जबरसिंह नरवरिया पुत्र मंतसिंह, उम्र 48 वर्ष।
 3. कुमारी सीमा पुत्री जबरसिंह नरवरिया उम्र 23 वर्ष।
 4. बंटी पुत्र जबरसिंह नरवरिया उम्र 21 वर्ष।
 5. विनोद पुत्र जबरसिंह नरवरिया उम्र 19 वर्ष।
- समस्त निवासीगण गोहद चौराहा, जिला भिण्ड म0प्र0

-----आवेदकगण

ब-ना-म

1. संदीप कुमार पुत्र महेशचंद्र, उम्र 25 वर्ष।
निवासी चन्दर का थाना चौबे पु, जिला कानपुर उ0प्र0।
- वाहन चालक
2. पवन कुमार जैन पुत्र कपूरचंद जैन, निवासी 169
गुर मण्डी दिल्ली 110007
- वाहन मालिक
3. दि ओरिएन्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड द्वारा
डिवीजन मैनेजर सचदेवा सदन फूलबाग, जिला
ग्वालियर म0प्र0

----- बीमा कम्पनी

आवेदक द्वारा श्री विवेक शर्मा अधिवक्ता

अनावेदक कं01,2 पूर्व से एक पक्षीय

अनावेदक कं03 द्वारा श्री आर0के0 वाजपेई अधिवक्ता

//अधि-निर्णय//

//आज दिनांक 05-08-2016 को घोषित किया गया //

01. आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 166 एवं 140 मोटरयान अधिनियम का निराकरण किया जा रहा है, जिसमें आवेदकगण ने ट्रौला क्रमांक एच. आर. 55 ई. 0623 के स्वामी, चालक एवं बीमा कंपनी के विरुद्ध। दुर्घटना में आवेदकगण के पुत्र एवं भाई को टक्कर लगने से आयी उपहति के कारण उसकी मृत्यु हो गई जिस आधार पर 44,50,000/- रुपये एवं ब्याज दिलाये जाने वाबत् एवं 50,000/- रुपये अंतरिम क्षतिपूर्ति राशि दिलाए जाने वाबत् क्षतिपूर्ति आवेदनपत्र पेश किया गया है।

02. यह अविवादित है कि वाहन ट्रौला क्रमांक एच.आर. 55 ई. 0623 का मालिक अनावेदक क्रमांक-2 है तथा उक्त वाहन अनावेदक क्रमांक-3 के यहां बीमित है।

03. आवेदकगण का आवेदनपत्र संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 28/09-2012 की रात मृतक अरुण उर्फ उपेन्द्रसिंह अपने मित्र अशोक के साथ मोटरसाइकिल क्रमांक डी.एल. 4 एस.सी.ए. 2825 पर पीछे बैठकर हयातपुर से बापस के.के. शर्मा फार्म हाउस बजीरपुर आ रहे थे। मोटरसाइकिल को अशोक धीरे धीरे अपने बाएं हाथ पर चला रहा था, जैसे ही वह लोग पेट्रोलपम्प के पास पहुँचे तभी बीच रोड पर ट्रौला चालक ने ट्रौला क्रमांक एच.आर. 55 ई. 0623 को बिना संकेतन लगाए एवं बिना इंडीकेटर जलाए लापरवाही पूर्वक बीच रोड पर खतरनाक स्थिति में खड़ा कर दिया था, जिससे उनकी मोटरसाइकिल टकरा गई और उसमें बैठे अशोक एवं अरुण उर्फ उपेन्द्र गिर पड़े। उक्त दुर्घटना में दोनों को गंभीर चोटें आई, जिन्हें सरकारी अस्पताल गुडगांव ले जाया गया। अरुण उर्फ उपेन्द्र की स्थिति खराब होने से उसे दिल्ली अस्पताल के लिए रिफर कर दिया जहाँ दौराने इलाज उसकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। उक्त दुर्घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना सेक्टर 10ए में अप0क0 321/13 पर धारा 279, 337, 304ए भा0दं0वि0 के तहत अनावेदक क्रमांक 1 के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरान्त अनावेदक क्रमांक 1 के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया जो कि जे.एम.एफ.सी गुडगांव के यहाँ विचाराधीन है।

04. आवेदकगण ने आवेदनपत्र में आगे यह भी बताया है कि दुर्घटना के समय मृतक अरुण उर्फ उपेन्द्रसिंह 23 वर्षीय हृष्टपुष्ट नवयुवक होकर टोलटैक्स पर नौकरी कर 10,000/- मासिक आय अर्जित कर लेता था। मृतक की असमायिक मृत्यु होने से आवेदक क्रमांक 1 व 2 अपने पुत्र द्वारा पहुँचाए जाने वाली सुख सुविधाओं, प्यार, स्नेह एवं भविष्य में होने वाली आय से बंतिच हो गए हैं एवं आवेदक क्रमांक 3 लगायत 5 अपने भाई के द्वारा

पहुँचाए जाने स्नेह व प्यार व मार्गदर्शन एवं अन्य सुख सुविधाओं से हमेशा के लिए बंचित हो गए हैं। उक्त दुर्घटना से मृतक की असमायिक मृत्यु होने से आवेदकगण को गहरा सदमा पहुँचा है एवं मानसिक व आर्थिक क्षति हुई है। उपरोक्त दुर्घटना में जो कि अनावेदक कं01 के द्वारा अनावेदक कं02 के वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाने के फलस्वरूप घटित हुयी है जो कि अनावेदक कं03 बीमा कंपनी के यहां बीमित है। अनावेदकगण से संयुक्त एवं पृथक पृथक रूप से 44,50,000/- रुपये क्षतिपूर्ति स्वरूप एवं 50,000/- रुपए अंतरिम क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाये जाने का निवेदन किया गया है।

05. अनावेदक कं0 2 ने अपने जवाब में स्वीकृत तथ्य के अतिरिक्त आवेदकगण के आवेदनपत्र के अभिवचनों को अस्वीकार किया है। उसके द्वारा यह भी बताया है कि दुर्घटना दिनांक को ट्राला क्रमांक एच.आर. 55 ई. 0623 को बिना संकेतन एवं इंडीकेटर जलाए बीच रोड पर खड़ा नहीं किया था वह ट्राला साइड में खड़ा किया था। स्वयं मृतक मोटरसाइकिल को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाए और साइड में रखे हुए ट्राला से भिड़ गए। प्रश्नाधीन ट्राला से किसी प्रकार की कोई दुर्घटना भी घटित नहीं हुयी है उनके वाहन के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट की गयी है। ऐसी दशा में आवेदनपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

06. अनावेदक क्रमांक-3 बीमा कंपनी ने भी आपने जवाब में आवेदक के आवेदनपत्र के अभिकथनों से इन्कार करते हुये वाहन ट्राला क्रमांक एच.आर. 55 ई. 0623 को उसके चालक के द्वारा तेजी व लापरवाही से चलाने के फलस्वरूप अथवा कथित वाहन से किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होने से साफ तौर से इन्कार किया गया है और उक्त वाहन से मृतक अरुण उर्फ उपेन्द्र को कोई चोट नहीं आई थी और न ही उसकी मृत्यु हुई थी। मृतक अरुण उर्फ उपेन्द्र के द्वारा उसकी आमदनी 10,000/- रुपए मासिक और उसकी उम्र 23 साल की होना एवं टोलटैक्स पर नौकरी करने से इन्कार किया है। बीमा कंपनी के द्वारा यह भी आधार लिया गया है कि प्रश्नाधीन मोटरसाइकिल चालक के पास उपरोक्त वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लायसेंस नहीं था एवं उसका फिटनेस व परमिट भी नहीं था। इस प्रकार उक्त वाहन बीमा पॉलिसी की शर्तों एवं मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन कर चलाया जा रहा था। दुर्घटना स्वयं मोटरसाइकिल के चालक के द्वारा उसे लापरवाही से चलाकर कारित की गई है। ऐसी दशा में जबकि अनावेदक कं01 व 2 के द्वारा अनावेदक के साथ आपस में दुरभि संधि की जानी दर्शित होती है। क्षतिपूर्ति वाबत् आवेदनपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

07. आवेदकपक्ष एवं अनावेदक पक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्न वाद प्रश्नों की रचना की गयी है जिस पर निकाले गये निष्कर्ष उनके सामने अंकित किये जा रहे हैं।

क.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या दिनांक 28/29-09-2012 को के.के.शर्मा फार्म हाउस बजीरपुर पेट्रोलपम्प के पास थाना सेक्टर 10 गुडगांव में अनावेदकगण को ट्रैला क्रमांक एच.आर. 55 ई. 0623 को बीचों बीच सड़क पर लापरवाही पूर्वक बीच रोड पर खड़ा कर दिया जिसमें मृतम उपेन्द्र की मोटरसाइकलि टकराने से उसे गंभीर उपहति आने से उसकी मृत्यु कारित हुई?	
2	क्या उपरोक्त दुर्घटना कारित करने में मृतक मोटरसाइकलि चालक की स्वयं की उतावलेपन एवं लापरवाही रही है? यदि हाँ तो किस सीमा तक?	
3	क्या घटना दिनांक को ट्रैला क्रमांक एच.आर. 55 ई. 0623 मोटरसाइकलि अधिनियम की शर्तों एवं बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लघन कर चलाया जा रहा था? यदि हाँ तो प्रभाव?	
4	क्या दुर्घटना के समय मृतक अरुण उर्फ उपेन्द्रसिंह टोलटैक्स पर नौकरी करके 10,000/- रुपए मासिक आमदनी अर्जित कर लेता था?	
5	क्या आवेदगण क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने के अधिकारी है? यदि हाँ तो किससे व कितना कितना?	
6	सहायता एवं व्यय?	

// निष्कर्ष के आधार //

बिन्दु क्रमांक-1 व 2 :-

08. आवेदिका श्रीमती कांतीबाई उर्फ रमाकांतीबाई आवेदक साक्षी क्रमांक 1 ने अपने शपथपत्र साक्ष्य कथन में बताया है कि उसका पुत्र अरूण उर्फ उपेन्द्रसिंह अपने मित्र अशोक के साथ मोटरसाइकिल क्रमांक डी.एल. 4 एस.सी.ए. 2825 में पीछे बैठकर हायतपुर से बापस के.के. शर्मा फार्म हाउस वजीरपुरा आ रहे थे। मोटरसाइकिल अशोक अपने हाथ की तरफ धीरे धीरे चलाता ला रहा था। जैसे ही मोटरसाइकिल पेट्रोलपम्प के पास पहुँची तभी बीच रोड पर ट्रौला क्रमांक एच.आर. 55 ई. 0623 का चालक उसे बिना संकेत लगाए और इंडीकेटर जलाए लापरवाही पूर्व बीच रोड पर खड़ा कर दिया था। ट्रौला चालक की लापरवाही के कारण मोटरसाइकिल ट्रौला से टकरा गई जिससे कि अरूण एवं उसके मित्र ट्रौला से टकरा गए और अरूण को गंभीर चोटें आई और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। आवेदिका के द्वारा आपराधिक प्रकरण से प्राप्त दस्तावेजों की सत्यप्रतिलिपि पेश की है जिसमें कि प्र.पी. 1 अंतिम प्रतिवेदन, एफ.आई.आर. प्र.पी. 2, पी.एम. रिपोर्ट प्र.पी. 3 एवं लाश सुपुर्दगी रसीद प्र.पी. 4 पेश की गई है।

09. प्रतिपरीक्षण में उक्त आवेदिका स्वभाविक रूप से स्वीकार की है कि घटना के समय वह घर पर थी। घटना की जानकारी उसे उसके पति ने दी थी, घटना उसके सामने घटित नहीं हुई थी। इस संबंध में यद्यपि उक्त साक्षिया घटना की चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है, किन्तु घटना के पश्चात् उसे घटना के बारे में पता चला है और अपने मृत पुत्र को उसने देखा है।

10. उपरोक्त संबंध में आवेदक पक्ष की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी एवं घटना के रिपोर्टकर्ता नरेश यादव आ0सा0 3 के द्वारा भी मोटरसाइकिल जिसमें कि अशोक एवं अरूण हायतपुरा से बापस के0के0 फार्म हाउस आ रहे थे। पेट्रोलपम्प के पास सड़क पर लापरवाही पूर्व खड़ा ट्रौला क्रमांक एच.आर. 55 ई. 0623 के चालक के द्वारा इंडीगेटर जलाए बिना और कोई भी संकेत रखे बिना खड़ा कर दिया। उक्त खड़े ट्रौला में मोटरसाइकिल टकरा जाने और अशोक व अरूण को चोटें आना और अरूण की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाना बताया है। घटना की सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुँचना और घटनास्थल पर खड़े ट्रौला का नम्बर देखना उसके द्वारा बताया गया है। उक्त साक्षी प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया है कि घटना के समय वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर 30 से 40 मिनट बाद पहुँच जाना बता रहा है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी इस सुझाव से इन्कार किया है कि मौके पर ट्रौला सावधानीपूर्वक इंडीगेटर जलाते हुए खड़ा था। जब वह

मौके पर पहुँचा तो उसने ट्रोला को खड़ा हुआ देखा था। ट्रोला का नम्बर एच.आर. 55 ई. 0623 था। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उक्त ट्रोला से कोई दुर्घटना घटित नहीं हुई थी और इस सुझाव से इन्कार किया है कि अरूण उसका दोस्त है इस कारण वह साक्ष्य दे रहा है। निश्चित तौर यद्यपि उक्त साक्षी घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं था, किन्तु दुर्घटना की सूचना मिलने पर वह दुर्घटनास्थल पर आ गया था और उसने दुर्घटना स्थल पर प्रश्नाधीन ट्रोला को देख लिया था जो कि वहाँ पर असुरक्षित अवस्था में खड़ा हुआ उसने देखा था। इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट भी उक्त साक्षी के द्वारा दर्ज कराई गई है जिसमें भी उसके द्वारा किए गए कथनों की सम्पुष्टि होती है।

11. आवेदक पक्ष की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी रामनरेश के द्वारा भी के.के. फॉर्म हाउस के पास खड़े ट्रक और वाईक में टक्कर होना और मोटरसाइकिल वाले की मृत्यु हो जाना और उसने इस संबंध में थाने पर सूचना देना बताया है। उक्त साक्षी को यद्यपि मोटरसाइकिल चलाने वाला कौन था यह नहीं बता सका है और ट्रक किस का था यह भी नहीं बता पाया है, किन्तु साक्षी के द्वारा घटनास्थल पर ट्रक को खड़ा देखा था और उसमें मोटरसाइकिल चालक के टकराकर गिरा हुआ देखा गया है।

12. घटना दिनांक को दुर्घटना घटित होना जो कि घटनास्थल पर प्रश्नाधीन ट्रोला क्रमांक एच.आर. 55 ई. 0623 के असुरक्षित अवस्था में खड़े होने से उसमें मोटरसाइकिल पीछे से टकरा जाने से दुर्घटना घटित होनी और उपरोक्त दुर्घटना में अरूण उर्फ उपेन्द्रसिंह को चोटें आकर उसकी मृत्यु हो जाने की पुष्टि आवेदक पक्ष की ओर से प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण से प्राप्त दस्तावेज जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 2, मृतक उपेन्द्र उर्फ अरूण की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्र.पी. 3 और लाश सुपुर्दगीनामा रसीद प्र.पी. 4 तथा अंतिम प्रतिवेदन प्र.पी. 1 जो कि विवेचना उपरांत अनावेदक क्रमांक 1 संदीप कुमार प्रश्नाधीन वाहन के चालक के विरुद्ध अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया है से होती है।

13. आवेदक के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्य के प्रतिखण्डन में उपरोक्त बिन्दु पर अनावेदक पक्ष के द्वारा कोई भी साक्ष्य पेश नहीं की गई है। यहाँ तक कि अनावेदक क्रमांक 1 जो कि दुर्घटना के समय प्रश्नाधीन वाहन का चालक होना बताया जा रहा है उससे भी कथन प्रतिखण्डन में अनावेदक पक्ष की ओर से नहीं कराए गए हैं। ऐसी दशा में इस बिन्दु पर आवेदक पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य अखण्डनीय रहा है। उपरोक्त संबंध में अनावेदक पक्ष की ओर से अपने अभिवचन में यह भी आधार लिया गया है कि उपरोक्त दुर्घटना स्वयं मोटरसाइकिल क्रमांक डी.एल. 4 एस.सी.ए. 2825 के चालक की लापरवाही के कारण घटित हुई है, किन्तु मोटरसाइकिल चालक के स्वयं के उतावलेपन एवं लापरवाही से दुर्घटना घटित

होने के संबंध में इस बिन्दु पर अनावेदक पक्ष की ओर से कोई भी साक्ष्य पेश नहीं की गई है और न ही प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर ऐसा कहीं प्रमाणित होता है कि उपरोक्त दुर्घटना में मोटरसाइकिल चालक के द्वारा किसी प्रकार के उतावलेपन या उपेक्षा पूर्वक मोटरसाइकिल चालक के कारण दुर्घटना घटित हुई है।

14. इस प्रकार प्रकरण में आई हुई सम्पूर्ण साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि दिनांक 28/29.09.2012 को अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा ट्राला क्रमांक एच.आर. 55 ई. 0623 को बीचों बीच सड़क पर लगाकर खड़ा कर दिया था जिससे कि मोटरसाइकिल टकराने से उपेन्द्र उर्फ अरूण को गंभीर उपहति आकर उसकी मृत्यु हो गई। तदनुसार विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1 व 2 का निराकरण कर बिन्दु क्रमांक 1 का उत्तर "हाँ" में तथा बिन्दु क्रमांक 2 का निराकरण कर उत्तर "नहीं" में दिया जाता है।

बिन्दु क्रमांक 3:-

15. वर्तमान वाद बिन्दु को प्रमाणित करने का भार अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी पर है, जिसके द्वारा अपने अभिवचन में यह आधार लिया गया है कि घटना दिनांक को प्रश्नाधीन वाहन बीमा पॉलिसी एवं मोटरयान अधिनियम की शर्तों का उल्लंघन कर वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस के बिना व रूट परमिट व फिटनेश के बिना चलाया जा रहा था, इस कारण बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन होने से बीमा कम्पनी का प्रतिकर अदायगी हेतु कोई दायित्व नहीं है।

16. उपरोक्त संबंध में अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी के जिसमें कि प्रश्नाधीन वाहन घटना दिनांक को उनकी कम्पनी में बीमित होने के संबंध में बीमा पॉलिसी प्र.डी. 1 को स्वीकार किया गया है, के द्वारा कोई भी साक्ष्य पेश नहीं की गई है कि जिससे कि प्रश्नाधीन वाहन घटना दिनांक को बीमा पॉलिसी अथवा मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों की किसी शर्त का उल्लेख कर चलाया जा रहा था का तथ्य प्रमाणित होता हो। ऐसी दशा में जबकि इस बिन्दु पर प्रमाणित करने का भार अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी का था उसके द्वारा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत न करने की दशा में वर्तमान बिन्दु प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है।

बिन्दु क्रमांक 4:-

17. दुर्घटना के समय मृतक अरूण उर्फ उपेन्द्र की आमंदनी का जहाँ तक प्रश्न है, इस बिन्दु पर आवेदिका कांतीदेवी के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया गया है कि उसका पुत्र टोलटैक्स पर नौकरी कर दस हजार रुपए मासिक आय अर्जित कर लेता था, किन्तु प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार की है कि उसने अपने पुत्र के वेतन से संबंधित कोई

दस्तावेज प्रकरण में पेश नहीं किये हैं और इस बात को भी स्वीकार की है कि उसने कभी भी दस हजार रूपए मृतक उपेन्द्र को मिलते हुए नहीं देखे थे। इस बिन्दु पर आवेदक पक्ष की ओर से अन्य कोई भी साक्ष्य या दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं जिससे कि मृतक उपेन्द्र की टोलटैक्स पर नौकरी कर दस हजार रूपए मासिक आमदनी अर्जित करने का तथ्य प्रमाणित होता हो। तदनुसार मृतक उपेन्द्र उर्फ अरुण के द्वारा दस हजार रूपए मासिक आमदनी अर्जित करने के संबंध में आवेदक पक्ष के द्वारा किया गया अभिवचन प्रमाणित नहीं होता है। तदनुसार वर्तमान बिन्दु का निराकरण कर उत्तर "नहीं" में दिया जाता है।

बिन्दु क्रमांक 5 एवं 6:-

18. आवेदकगण के द्वारा वर्तमान क्षतिपूर्ति बावत् आवेदनपत्र जो कि मोटरयानर दुर्घटना के फलस्वरूप मृतक अरुण उर्फ उपेन्द्र जिस पर कि वह आश्रित होने और उसके वारिस होने के आधार पर प्रतिकर की मांग करते हुए क्लेम याचिका इस न्यायालय में पेश की गई है, जिसमें कि आवेदकगण का निवास स्थान पुलिस थाना गोहद चौराहा तथा बीमा कम्पनी का कार्यालय ग्वालियर में होने के कारण न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्लेम आवेदनपत्र है और इस आधार पर अनावेदकगण के विरुद्ध आवेदनपत्र के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि दिलाए जाने की याचना की गई है।

19. उपरोक्त संबंध में अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी के द्वारा स्पष्ट रूप से अपने अभिवचन में प्रारंभ से ही यह आधार लिया गया है कि आवेदकगण गोहद चौराहा में निवास नहीं करते हैं और उनके द्वारा गलत पता लिखाकर क्लेम आवेदनपत्र पेश किया गया है। क्लेम आवेदनपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार में न होने से आवेदनपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

20. निश्चित तौर से आवेदकगण को किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान किये जाने के पूर्व क्षेत्राधिकार का बिन्दु एक महत्वपूर्ण बिन्दु है। अधिकरण तभी कोई सहायता प्रदान कर सकता है जबकि अधिकरण को कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त हो। उपरोक्त संबंध में अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी के द्वारा अपने तर्क में स्पष्ट रूप से यह आधार लिया गया है कि वर्तमान दुर्घटना गुणगांव की होनी बताई गई है, आवेदकगण के निवास स्थान के संबंध में आवेदकगण के द्वारा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। मृतक का निवास स्थान भी गुणगांव होना बताया गया है। ऐसी दशा में क्लेम आवेदनपत्र इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में न होने से आवेदनपत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

21. आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्क में व्यक्त किया कि क्षेत्राधिकार के आधार पर ही क्लेम आवेदनपत्र निरस्त नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में अधिकरण को सभी

बिन्दुओं पर निष्कर्ष देने होंगे। इस बिन्दु पर 2005(2) एम.पी.एच.टी. 359 श्रीमती सुरेन्दर कौर वि0 समशेरसिंह बगैरह पेश किया गया है।

22. धारा 166(2) मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंतर्गत आवेदनपत्र पेश होने के संबंध में प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार क्लेम हेतु आवेदनपत्र उस अधिकरण के समक्ष पेश हो सकते हैं— (अ) जिसके क्षेत्र में दुर्घटना कारित हुई है अथवा (ब) उस अधिकरण के क्षेत्र में जहाँ कि आवेदक निवास करता है या व्यवसाय करता है अथवा (स) उस अधिकरण के क्षेत्र में अनावेदक निवास करता है।

23. उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। क्लेम आवेदनपत्र में आवेदकगण के द्वारा गोहद चौराहा क्षेत्र का निवासी होने के आधार पर क्लेम आवेदनपत्र इस अधिकरण के समक्ष पेश किया जाना बताया है और उनके द्वारा अपना पता गोहद चौराहा जिला भिण्ड होना उल्लेख किया गया है, किन्तु यह उल्लेखनीय है कि आवेदकगण गोहद चौराहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवासी है, इस आशय का कोई भी प्रमाण आवेदक पक्ष की ओर से पेश नहीं किया गया है। इस बिन्दु पर आवेदिका कांतीदेवी को अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी के द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने पर उसके द्वारा यह बताया गया है कि केवल वह गोहद में रहती है उसके अन्य सभी लोग गुणगांव में रहते हैं और इस बात को भी स्वीकार की है कि उसने अपने निवास के संबंध में कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान क्लेम आवेदनपत्र के साथ आवेदकगण की ओर से अपरा रजिस्टर्ड पता भी पेश किया गया है, जिसमें आवेदकगण का निवास विनय नगर सेक्टर-2 ग्वालियर होने का उल्लेख किया गया है।

24. इस प्रकार आवेदकगणों को एक तरफ गोहद चौराहा के निवासी होना बताया जा रहा है और दूसरी तरफ उन्हें जो रजिस्टर्ड पता दिया गया है वह विनय नगर सेक्टर-2 ग्वालियर का निवासी होना बताया जा रहा है जो कि परस्पर विरोधाभासी है। इस संबंध में अभिलेख के अवलोकन से यह भी दर्शित होता है कि प्र.पी. 3 व 4 का दस्तावेज जो कि मृतक अरुण उर्फ उपेन्द्रसिंह के पोस्टमार्टम और लाश सुपुर्दगी के संबंध में दस्तावेज स्वयं आवेदक के द्वारा पेश किया गया है उसमें मृतक का मूल पता ग्राम सेपुरा तहसील एवं थाना मेहगांव उल्लेख किया गया है, जबकि वर्तमान क्लेम याचिका में याचिकाकर्ता जो कि मृतक के वारिस होना अभिकथित करते हुए आवेदनपत्र पेश किया है वह गोहद चौराहा के निवासी होना बता रही है। ऐसी दशा में जबकि आवेदकगण के द्वारा निवास स्थान के संबंध में कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किये गए हैं और इस संबंध में परस्पर विरोधाभासी तथ्य उनके द्वारा बताये जा रहे हैं। आवेदकगण गोहद चौराहा के निवासी होने के संबंध में कोई भी प्रमाण नहीं है। इस

आधार पर उनकी क्लेम याचिका के श्रवण का क्षेत्राधिकार इस अधिकरण को होना नहीं पाया जाता है।

25. उपरोक्त संबंध में आवेदक अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत क्षेत्राधिकार के संबंध में उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत का जहाँ तक प्रश्न है, उक्त सुरेन्द्रकोर के न्यायिक दृष्टांत में माननीय न्यायालय के द्वारा यह अवधारित किया गया है कि न्यायालय को क्षेत्राधिकार से संबंधित विवादक का प्रारंभिक विवादक के रूप में विनिश्चय नहीं करना चाहिए, बल्कि सभी बाद बिन्दुओं पर निष्कर्ष निकालना चाहिए। इस संबंध में क्षेत्राधिकार से संबंधित उपरोक्त बिन्दु का विचार प्रकरण के सम्पूर्ण साक्ष्य के आधार पर तथा सभी विवादकों पर विवेचन के दौरान उसका निराकरण किया जा रहा है। ऐसी दशा में उक्त न्यायिक दृष्टांत के आधार पर आवेदक को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

26. विचारोपरांत इस अधिकरण को क्लेम आवेदनपत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार होना नहीं पाया जाता है और क्षेत्राधिकार के अभाव में आवेदकगण किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। उनकी ओर से प्रस्तुत क्लेम आवेदनपत्र के आधार पर कोई सहायता प्रदान नहीं की जा सकती है। तदनुसार आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत क्लेम आवेदनपत्र निरस्त किया जाता है।

तदनुसार व्यय तालिका बनायी जाये।

अधिनिर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल)
अति0मोटर दुर्घटना दावा अधि0
गोहद जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)
अति0मोटर दुर्घटना दावा अधि0
गोहद जिला भिण्ड